



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102025-266662
CG-DL-E-04102025-266662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4331]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2025/आश्विन 8, 1947

No. 4331]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025/ASVINA 8, 1947

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

का.आ. 4455(अ).—केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 12 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके अंतर्गत भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में, राष्ट्रपति यह आदेश देते हैं कि श्री सागर सेनगुप्ता, निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र (एनबीआरसी), मानेसर इस आदेश के तहत अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और नियमित निदेशक को प्रदत्त सभी वैधानिक या अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कार्य इस शर्त के अधीन करेंगे कि वे सचिव, बायोटेक्नोलॉजी विभाग की अनुमति के बिना किसी मौजूदा आदेश में न तो कोई संशोधन करेंगे और न ही उसे रद्द करेंगे।

[फा. सं. एआई-12020/1/2025-एआईपीएसयू-डीबीटी]

एकता विशनोई, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**(Department of Biotechnology)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2025

S.O. 4455(E).—In exercise of the powers conferred by Rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and in pursuance of the decision of the Government of India thereunder, the President is pleased to order that Sh. Sagar Sengupta, Director(additional charge), National Brain Research Centre (NBRC), Manesar shall act as the Disciplinary Authority by virtue of this order, and exercise all statutory or other powers conferred on the regular Director and execute such functions, subject to the condition that he shall not modify or overrule any prevalent orders without the approval of the Secretary, DBT.

[F. No. AI-12020/1/2025-AIPSU-DBT]

EKTA VISHNOI, Jt. Secy.